रजिस्ट्री सं. डी. (डी. एन.)—72

REGISTERED NO. D. (D.N.) 72

सचिवालय पुस्तकालय
SECRETARIAT LIBRARY
23 JUN 1982

सत्यमेव जयते

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY,

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 66] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, फरवरी 25, 1982/फाल्गुन 6, 1903
No. 66] NEW DELHI, THURSDAY, FEBRUARY 25, 1982/PHALGUNA 6, 1903

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

उद्योग मंत्रालय

(औद्योगिक विकास विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 25 फरवरी, 1982

का० आ० 98(अ)/18 कक/उ० वि० वि० अ०/82.—भारत सरकार के उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग) के आदेश सं० का०आ० 112(अ) आई०डी०आर०ए०/79, तारीख 26 फरवरी, 1979 (जिसे इसके पश्चात् उक्त आदेश कहा गया है) द्वारा मैसर्स ब्रेन्टफोर्ड इलैक्ट्रिक (इंडिया) लिमिटेड, कलकत्ता के नाम से ज्ञात औद्योगिक उपक्रम का प्रबंध उद्योग (विकास और विनियम) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 18 कक की उपधारा (1) के खंड (क) के अधीन छः महीने की अवधि के लिये अर्थात्, 25 अगस्त, 1979 (जिसमें यह दिन भी शामिल है) तक ग्रहण किया था और एन्ड्रयू यूल एंड कंपनी लि०, कलकत्ता को उक्त औद्योगिक उपक्रम का प्रबंध ग्रहण करने के लिये प्राधिकृत किया गया था;

और भारत सरकार के उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग) के आदेश सं० 476 (अ)/18 कक/उ०वि०वि०अ०/79, तारीख 22 अगस्त, 1979, सं० का० आ० 637 (अ)/18 कक/उ०वि०वि०अ०/80, तारीख 23 अगस्त, 1980 तथा सं० का०आ० 126(अ)/18कक/उ०वि०वि०अ०/81, तारीख 23 फरवरी, 1981 द्वारा उक्त आदेश की अवधि तारीख 25 फरवरी, 1982 (जिसमें यह दिन भी शामिल है) तक बढ़ा दी गई थी;

और भारत सरकार की राय है कि लोकहित में यह समीचीन है कि उक्त औद्योगिक उपक्रम को छः महीनों की और अवधि के लिए एन्ड्रयू यूल एंड कम्पनी लिमिटेड के प्रबंधतंत्र के अधीन बने रहना चाहिए;

अतः अब केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम, की धारा 18 कक की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निदेश देती है कि उक्त आदेश छः महीनों की और अवधि के लिए अर्थात्, तारीख 25 अगस्त, 1982 तक (जिसमें यह दिन भी शामिल है), प्रभावी बना रहेगा ।

[फा० सं० 5(14)/78-सी०यू०एस०]

MINISTRY OF INDUSTRY

(Department of Industrial Development)

ORDERS

New Delhi, the 25th February, 1982

S.O. 98(E)/18AA/IDRA/82.—Whereas by the Order of the Government of India in the Ministry of Industry (Department of Industrial Development) No. S.O. 112(E)/18AA/IDRA/79, dated 26th February, 1979 (hereinafter referred to as the said Order), the management of the Industrial Undertaking known as Messrs Brentford Electric (India) Limited, Calcutta, was taken over under clause (a) of sub-section (1) of section 18AA of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951), for a period of six months upto and inclusive of 25th August, 1979 and the Andrew Yule & Company Limited, Calcutta was authorised to take over the management of the said industrial undertaking;

And, whereas, by the Orders of the Government of India in the Ministry of Industry (Department of Industrial Development) No. S.O. 476(E)/18AA/IDRA/79, dated the 22nd August, 1979, No. S.O. 637(E)/18AA/IDRA/80, dated the 23rd August, 1980 and No. S.O. 126(E)/18AA/IDRA/81, dated the 23rd February, 1981, the duration of the said Order was extended for a further period upto and inclusive of the 25th February, 1982 ;

And, whereas, the Central Government is of opinion that it is expedient in the public interest that the said industrial undertaking should continue under the management of the

Andrew Yule & Company Limited, Calcutta for a further period of six months ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 18AA of the said Act, the Central Government hereby directs that the said Order shall continue to have effect for a further period of six months upto and inclusive of the 25th August, 1982.

[F. No. 5(14)/78-CUS.]

का०आ० 99(अ)/18एफ०बी०/आई०डी०आर०ए०/82—भारत सरकार के उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग) के आदेश सं० का०आ० 124(अ)/18 एफ०बी०/आई०डी०आर०ए०/79, तारीख 5 मार्च, 1979 तथा सं० का०आ० 130(अ)/18 एफ०बी०/आई०डी०आर०ए०/79, तारीख 9 मार्च, 1979 (जिन्हें इसके पश्चात् उक्त आदेश कहा गया है) द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 18चख की उपधारा (1) के खंड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह घोषणा की थी कि उक्त आदेशों के जारी होने की तारीखों के ठीक पूर्व प्रवृत्त ऐसे सभी संविदाओं, संपत्ति के हस्तांतरण पत्रों, करारों, व्यवस्थानों, पंचाटों, स्थायी आदेशों या अन्य लिखतों जिनका मैसर्स ब्रेन्टफोर्ड इलैक्ट्रिक (इंडिया) लि०, कलकत्ता नाम से ज्ञात औद्योगिक उपक्रम एक पक्षकार है या जो उक्त औद्योगिक उपक्रम पर लागू हो सकते हों, का प्रवर्तन 25 अगस्त, 1979 तक की अवधि के लिए निलम्बित रहेगा और उक्त तारीख से पूर्व उनके अधीन प्रोद्भूत या उद्भूत होने वाली सभी अधिकार, विवेकाधिकार, बाध्यताएं और दायित्व 25 अगस्त, 1979 तक (जिसमें यह दिन भी शामिल है) की अवधि के लिए निलम्बित रहेंगे,

और भारत सरकार के उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग) के आदेश सं० का०आ० 477 (अ)/18 एफ०बी०/आई० डी० आर०ए०/79, तारीख, 22 अगस्त, 1979, सं० का०आ० 638(अ)/18 एफ०बी०/आई०डी० आर०ए०/80, तारीख 23 अगस्त, 1980 तथा सं० का०आ० 127(अ)/18 एफ०बी०/आई०डी०आर०ए०/81 तारीख, 23 फरवरी, 1981 द्वारा उक्त आदेशों की अवधि 25 फरवरी, 1982 (जिसमें यह दिन भी शामिल है) तक बढ़ा दी गई थी;

और केन्द्रीय सरकार इस बारे में संतुष्ट हो गई है कि उक्त आदेशों की अवधि छः महीनों के लिए अर्थात्, 25 अगस्त, 1982 तक (जिसमें यह दिन भी शामिल है) और बढ़ा दी जानी चाहिए;

अतः अब उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 18चख की उपधारा (2) के साथ पठित उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार उक्त आदेशों की अवधि 25 अगस्त, 1982 तक (जिसमे यह दिन भी शामिल है) और बढ़ाती है ।

[फा० सं० 5(14)/78-सी०यू०एस०]
एम०एल० कपूर, संयुक्त सचिव

S.O. 99(E)/18FB/IDRA/82.—Whereas by two Orders of the Government of India in the Ministry of Industry (Department of Industrial Development) No. S.O. 124(E)|18FB|IDRA|79, dated the 5th March, 1979, No. S.O. 130(E)|18FB|IDRA|79, dated the 9th March, 1979 (hereinafter referred to as the said Orders), the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 18FB of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951), had declared that the operations of all contracts, assurances of property, agreements, settlements, awards, standing orders or other instruments, in force immediately before the dates of the issue of the said Orders, to which the industrial undertaking known as Messrs Brentford Electric (India) Limted, Calcutta was a party or which might be applicable to the said industrial undertaking, should remain suspended for a period upto the 25th August, 1979 and that all rights, privileges, obligations and liabilities accruing or arising thereunder before the said date should remain suspended for a period upto and inclusive of the 25th August, 1979;

And, whereas, by the Orders of the Government of India in the Ministry of Industry (Department of Industrial Development) No. S.O. 477(E)|18FB|IDRA|79, dated the 22nd August, 1979, No. S.O. 638(E)/18FB/IDRA/80, dated the 23rd August, 1980 and No. S.O. 127(E)|18FB|IDRA|81, dated the 23rd February, 1981, the duration of the said Orders was extended for a further period upto and inclusive of the 25th February, 1982;

And, whereas, the Central Government is satisfied that the duration of the said Orders should be extended for a further period of six months upto and inclusive of the 25th August, 1982;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with sub-section (2) of section 18FB of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951), the Central Government hereby extends the duration of the said Orders upto and inclusive of the 25th August, 1982.

[F. No. 5(14)|78-CUS.]

S. L. KAPUR, Jt. Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1982